FORM NO. III

फर्दअहकाम

(नियम– 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर सिवाना जिला बालोतरा

वादी / वादीगण बनाम	प्रतिवादी / प्रतिवादीगण
मोहनी पुत्री मोकाराम पत्नी भैराराम जाति सुथार निवासी मिठौड़ा तहसील सिवाना जिला बालोतरा वगैरह (2)	1 सोनाराम पुत्र मांगिया उर्फ मौकाराम जाति सुथार निवासी बेरानाड़ी तहसील सिवाना जिला बालोतरा वगैरह (6) 7 भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा

किस्म मुकदमा......धारा 88,53,188 RT Act. मुकदमा नंबरः–40 / 2026

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.02.2026	वादी मोहनी वगैरह की ओर से वकील श्री कपिल श्रीमाली ने यह वाद पत्र प्रतिवादी सोनाराम वगैरह के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 88,53,188 RT Act. का प्रस्तुत किया, जो दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 30.04.2026 को पेश हो। (सुरेन्द्र सिंह खंगारोत) सहायक कलक्टर (SDO) सिवाना	
13.03.2026	वादीनी वकील के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली आज तलब की गई। वादीनी मय वकील उप०। वादीनी वकील ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दोनो पक्षो के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो जाने से वे वाद की कार्यवाही जारी नही रखना चाहते है। अत: वादीनी को नया वाद प्रस्तुत करने का हक सुरक्षित रखते हुए वादीनी का वाद जरिये विड्रो निस्तारित फरमावे। हमने वादीनी वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादीनी को नया वाद पेश प्रस्तुत करने के हक को सुरक्षित रखते हुए वाद जरिये विड्रो खारिज [illegible] है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (S.D.O) सिवाना	R.T. मोहनी 3(?)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.04.03 14:51:13 IST
Reason: SelfAttested